न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 255/2022 तारीख रजू :–24.08.2022

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार हरसोलिया

R.A.S.

बब्बू खॉं बनाम गुलाब खॉं

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 एवं सपठित धारा 151जा0दी0

उपस्थितः–1.श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं.6

2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थीगण/ वादीगण

निर्णय

दिनांक :–26.12.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी सं06 ने दिनांक 27.09.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा कमरूद्धीन के वारिस पुत्र बब्बू व पुत्रियॉं शकीला और मछला की ओर से खसरा नम्बर 827, 841, 847/1215 व खसरा नम्बर 569, 570 स्थित ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिवक्ता श्री अशोक नीमनका के माध्यम से इस न्यायालय में दायर किया है, जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कमरूद्धीन के समस्त वारिसान जिनमें उक्त दावे के वादीगण भी शामिल हैं, पूर्व में इसी न्यायालय में दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] खॉं दायर किये गये, जो स्वं दावा हाजा के वादीगण व सहखातेदार [illegible] ट्रांसफर एप्लीकेशन पर उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय से श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के आदेश से अन्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी, करौली के यहॉं सुनवाई हेतु भेज दिये गये, जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 08.08.2022 को हो गया है और उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निषेधाज्ञाा गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा खारिज फरमाया दिया गया तथा उक्त उनवान का दावा वर्तमान में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि उक्त प्रकरण गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ के तथ्यों को छिपाते हुए कमरूद्धीन के तीन वारिसों द्वारा यह दावा न्यायालय को मुगालता देते हुए विधि विरूद्ध तरीके से पूर्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.2022 को खारिज होने के पश्चात पुनः एकतरफा में बराये बदयान्ति स्थगन लेने के उद्देश्य से दायर किये हैं, जबकि पूर्व दावे उनवानी गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ व वर्तमान दावा हाजा में विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य में पूर्व में संस्थित वाद में विवाधक विषय प्रत्यक्षतः और सारतः समान हैं। ऐसी स्थिति में कानूनन वर्तमान दावा हाजा पोषणीय नहीं है, क्योंकि एक ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञां के दो– दो दावे उन्हीं पक्षकारों के मध्य कानूनन विचाराधीन नहीं रह सकते हैं, इसलिए उक्त दावा हाजा धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत कानूनन चलने योग्य नहीं है और स्टे किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दावा हाजा धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत स्टे किये जाने योग्य है।

वादीगण/ अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व सपठित धारा 151 सीपीसी का जबाव दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त मद में वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित कोई अन्य दावा किसी अन्य रेवन्यू कोर्ट में विचाराधीन होने वाला तथ्य एकदम गलत है। उक्त आराजीयात बाबत् एस.डी.ओ. सा. [illegible] विचाराधीन अब कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उक्त प्रकरण में धारा 10 व 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पत्र कानून के खिलाफ प्रस्तुत किया है, जो हर आईने खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं06 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी जिस वक्त पेश किया था उस समय मुकदमा नम्बर 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबू खॉ वगैराह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ विचाराधीन था तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश होने के उपरान्त दिनांक 13.12.2022 को उक्त दावा को उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ से नोट प्रेस में खारिज करवा लिया है। इसलिए अब उक्त प्रकरण में धारा 10 के स्थान पर धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में समान पक्षकार एवं समान आराजीयात नहीं है। अप्रार्थीगण का दावा धारा 10 एवं 11 सीपीसी के प्रावधानों से वाधित नहीं है अर्थात लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी कानूनन [illegible] नहीं होने से खारिज योग्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा [illegible]ली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं06 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सबूत प्रमाणित प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली मुकदमा नं0 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आदेशिका दिनांक 23.06.2021 से 14.11.2022 तक की पेश की है तथा मुकदमा नं0 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि गुलाब खॉ वगैराह के द्वारा पूर्व में उक्त मुकदमा इसी न्यायालय पेश किया था, जो वादी गुलाब खॉ के द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, करौली के यहॉ उक्त मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्यत्र न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय से ट्रांसफर किया गया था। दावा में सुनवाई हेतु आगामी तारीख 05.01.2023 नियत थी। किन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थी/ प्रतिवादी सं06 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10 सपिठत धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में विचाराधीन मुकदमा नं0 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.26 है0, 570 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन को दिनांक 13.12.2022 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया। जबकि वह दावा पूर्व का था। मुकदमा नं0 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 255/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में समान आराजीयात, समान पक्षकार एवं समय विषय वस्तु होना स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त विचाराधीन प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। जिसके अनुसार एक ही विवादित आराजीयात के बाबत् पूर्व में दावा विचाराधीन होने अथवा [illegible] के उपरान्त पुनः उसी विवादित आराजीयात के बाबत [illegible] विषय वस्तु का वाद पेश नहीं किया जा सकता है। यदि विचाराधीन [illegible] वह धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट [illegible] जाने योग्य है। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं06 ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

के तहत उक्त वाद को स्टे करने हेतु पूर्व में वाद विचाराधीन होने के कारण पेश किया है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में विचाराधीन पूर्व का मुकदमा नं0 16/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.12.2022 को नोट प्रेस में खारिज हो चुका है। अतः उक्त प्रकरण में धारा 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू होने के कारण वादी का दावा सं0 255/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान मुकदमा नं0 255/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested